राष्ट्रीय महिला आयोग

तारीख 16 जनवरी, 2019 को 11.30 बजे पूर्वाह्न में आयोग के, नई दिल्ली के सम्मेलन कक्ष में आयोजित आयोग की 187वीं बैठक का कार्यवृत्त ।

उपस्थित:-

1. सुश्री रेखा शर्मा	अध्यक्ष
2. सुश्री कमलेश गौतम	सदस्य
3. सुश्री सोसो साइजा	सदस्य
4. सुश्री चंद्रमुखी देवी	सदस्य
5. सुश्री मीनाक्षी गुप्ता	सदस्य-सचिव

निम्नलिखित भी उपस्थित:-

1. श्री अशोली चलाई	संयुक्त सचिव
2. सुश्री ज्योति सिंघल	उप सचिव
3. सुश्री प्रीति कुमार	अवर सचिव
4. सुश्री बर्नाली शोम	अवर सचिव
5. सुश्री मीनाक्षी गुप्ता	सदस्य-सचिव

निम्नलिखित भी उपस्थित:-

1. सुश्री लोमा वशिष्ट	वेतन एवं लेखा अधिकारी
2. श्री हसीब अहमद	विशेष रिपोर्टर
3. सुश्री चेतना सोनी	अनुसंधान अधिकारी, एनआरआई प्रकोष्ठ
4. सुश्री कंचन खट्टर	वरिष्ठ समन्वयक, सीएंडआई प्रकोष्ठ
5. सुश्री लीलावती	वरिष्ठ समन्वयक, एनई प्रकोष्ठ

आरंभ में सदस्य-सचिव, राष्ट्रीय महिला आयोग ने राष्ट्रीय महिला आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों तथा आयोग की बैठक में मौजूद अन्य अधिकारियों का स्वागत किया।

वाल्यूम सं.1

कार्यसूची मद सं. 1:

तारीख 11 दिसंबर, 2018 को आयोजित आयोग की 186वीं बैठक का कार्यवृत्त।

आयोग द्वारा तारीख 11 दिसंबर, 2018 को आयोजित आयोग की 186वीं बैठक के कार्यवृत्त की पुष्टि की गई।

कार्यसूची मद सं. 2:

मध्य प्रदेश महिला आयोग को 40 विधिक जागरूकता कार्यक्रम आयोजित करने के लिए दूसरी और अंतिम किश्त के रूप में 19,98,830 रू का निर्मोचन

आयोग ने नोट कर लिया है और मध्य प्रदेश राज्य महिला आयोग को 2017-18 के दौरान दूसरी और अंतिम किश्त के रूप में 19,98,830 रू का निर्मोचन करने के लिए भूतलक्षी प्रभाव से अनुमोदन प्रदान किया।

कार्यसूची मद सं. 3:

विधिक जागरूकता कार्यक्रम के लिए दूसरी राष्ट्र-व्यापी प्रतियोगिता

आयोग को तारीख 6 दिसंबर, 2018 के परिपत्र द्वारा मार्गदर्शक सिद्धांतों में किए गए उपांतरणों के बारे में सूचित किया गया। यह जानकारी दी गई कि तारीख 31 जनवरी, 2019 के पश्चात् प्राप्त होने वाले किसी भी बिल पर कार्यवाही नहीं की जाएगी। आयोग ने नोट कर लिया है और तारीख 6 दिसंबर, 2018 को यथासंशोधित तारीख 16 अगस्त, 2018 को जारी किए गए मार्गदर्शक सिद्धांतों के अनुसार 2018-19 के दौरान दूसरी राष्ट्र-व्यापी विधिक प्रतियोगिता आयोजित करने के लिए भूतलक्षी प्रभाव से अनुमोदन प्रदान किया। आयोग ने यह भी नोट किया कि अगले वित्तीय वर्ष में इस योजना पर फिर से विचार किया जाएगा।

कार्यसूची मद सं. 4:

शिकायत एवं अन्वेषण प्रकोष्ठ में शिकायतों के संबंध में कार्यवाही करने के लिए मानक प्रचालन प्रक्रिया (एसओपी)

आयोग ने नोट कर लिया है और कार्यसूची में दिए गए ब्यौरों के अनुसार शिकायत एवं अन्वेषण प्रकोष्ठ में शिकायतों पर कार्यवाही करने के लिए प्रस्तावित मानक प्रचालन प्रक्रिया (एसओपी) का अनुमोदन प्रदान कर दिया है।

कार्यसूची मद सं. 5:

शिकायत एवं अन्वेषण प्रकोष्ठ में अधिदिष्ट शिकायतों का पुन:वर्गीकरण

आयोग ने नोट कर लिया है और कार्यसूची में दिए गए ब्यौरों के अनुसार शिकायत एवं अन्वेषण प्रकोष्ठ में अधिदिष्ट शिकायतों का पुन:वर्गीकरण करने के लिए आयोग ने अनुमोदन प्रदान कर दिया है।

कार्यसूची मद सं. 6:

कलेंडर वर्ष 2019 के लिए प्रशिक्षु कार्यक्रम

आयोग ने नोट कर लिया है और कार्यसूची में दिए गए ब्यौरों के अनुसार कलेंडर वर्ष 2019 के लिए प्रशिक्षु कार्यक्रम के लिए आयोग ने भूतलक्षी प्रभाव से अनुमोदन प्रदान कर दिया है।

कार्यसूची मद सं. 7:

संविदा के आधार पर कनिष्ठ तकनीकी विशेषज्ञों की नियुक्ति

आयोग ने नोट कर लिया है और कार्यसूची में दिए गए ब्यौरों के अनुसार संविदा आधार पर कनिष्ठ तकनीकी विशेषज्ञों को नियुक्त करने के लिए भूतलक्षी प्रभाव से अनुमोदन प्रदान किया।

कार्यसूची मद सं. 8:

12 डाटा एंट्री ऑपरेटरों का प्रदाय करने के लिए जीईएम के माध्यम से मैसर्स विशाल इंटरनेशनल की नियुक्ति

आयोग को सूचित किया गया कि बैठक के लिए कार्यसूची में इस मत को सम्मिलित करने के समय विक्रेता मैसर्स विशाल इंटरनेशनल एंटरप्राइज्स द्वारा की गई कुछ अनुचित कार्यप्रणाली ध्यान में लाई गई। तद्नुसार, आयोग ने मैसर्स विशाल इंटरनेशल एंटरप्राइज्स की निविदा को रद्द करने का अनुमोदन किया और राष्ट्रीय महिला आयोग में डाटा एंट्री ऑपरेटरों को नियुक्त करने के लिए नई निविदा के संबंध में कार्यवाही करने का निदेश किया। आयोग ने यह भी विनिश्चय किया कि विद्यमान विक्रेता तारीख 28 फरवरी, 2019 तक कार्य कर सकता है और उस समय तक नए व्यक्ति को नियुक्त करने की पूरी कार्यवाही पूरी हो जाने की प्रत्याशा है।

कार्यसूची मद सं. 9:

संयुक्त सचिव, राष्ट्रीय महिला आयोग को विभागाध्यक्ष के रूप में घोषित करना

आयोग ने नोट कर लिया है और कार्यसूची में दिए गए ब्यौरों के अनुसार संयुक्त सचिव, राष्ट्रीय महिला आयोग को विभागाध्यक्ष के रूप में घोषित करने के लिए आयोग ने भूतलक्षी प्रभाव से अनुमोदन प्रदान किया।

कार्यसूची मद सं. 10:

मैसर्स सत्य ओम सिक्युरिटी सर्विस प्राइवेट लिमिटिड की एक और अन्य वर्ष अर्थात् तारीख 8 मई, 2019 तक नियुक्ति का विस्तार

आयोग ने नोट कर लिया है और राष्ट्रीय महिला आयोग में सुरक्षा सेवाओं की संविदा देने के लिए मैसर्स सत्य ओम सिक्युरिटी सर्विस प्राइवेट लिमिटिड की नियुक्ति का विस्तार तारीख 8 मई, 2019 तक करने के लिए भूतलक्षी प्रभाव से आयोग ने अनुमोदन प्रदान किया।

कार्यसूची मद सं. 11:

अनिवासी भारतीय प्रकोष्ठ में मानक प्रचालन प्रक्रिया का पुनरीक्षण

आयोग ने नोट कर लिया है और कार्यसूची में दिए गए ब्यौरों के अनुसार अनिवासी भारतीय प्रकोष्ठ में शिकायतों के संबंध में कार्यवाही करने के लिए आयोग ने पुनरीक्षित मानक प्रचालन प्रक्रिया (एसओपी) के लिए अनुमोदन प्रदान किया।

कार्यसूची मद सं. 12:

कनार्टक में महिला इलक्ट्रोनिक मीडिया पत्रकारों की स्थिति

अध्यक्ष ने यह नोट किया कि अनुसंधान अध्ययन का प्रस्तुतीकरण आयोग या किसी सदस्य के समक्ष नहीं किया गया है। उन्होंने यह इच्छा व्यक्त की कि अनुसंधान के ऐसे सभी मामलों को सूचीबद्ध किया जाए और निधियों का और आगे निर्मोचन करने से पहले मूल्यांकन के लिए विशेषज्ञ समिति के समक्ष रखा जाए। तद्नुसार कार्यसूची को आस्थागित कर दिया गया। स्कूल ऑफ कम्युनिकेशन मनिपाल एकेडमी ऑफ हायर एजुकेशन को दिए गए नियत समय में इसे प्रस्तुत नहीं किया गया था।

कार्यसूची मद सं. 13:

पूर्वोत्तर प्रदेश की महिलाओं के साथ भेदभाव पर अध्ययन। भारत में वर्ग । और ॥ टायर शहरों का सर्वेक्षण

कार्यसूची मद सं. 12 के अधीन हुए विचार-विमर्श के प्रकाश में इस कार्यसूची को आस्थागित कर दिया गया।

कार्यसूची मद सं. 14:

भारत के गंदी बस्ती क्षेत्र के निवासियों के बीच में महिलाओं के विरूद्ध हिंसा

कार्यसूची मद सं. 12 के अधीन हुए विचार-विमर्श के प्रकाश में इस कार्यसूची को आस्थागित कर दिया गया।

कार्यसूची मद सं. 15:

2018-19 में विशेष अध्ययन/अनुसंधान करने के लिए मुद्दें/विषय/प्राथमिकता क्षेत्र

आयोग ने नोट कर लिया है और 2018-19 में अनुसंधान अध्ययन करने के लिए आयोग ने मुद्दें/विषय/प्राथमिकता क्षेत्रों के लिए भूतलक्षी प्रभाव से अनुमोदन प्रदान किया। इसके अतिरिक्त, इस बात को ध्यान में रखते हुए कि चालू वित्तीय वर्ष की यह अंतिम तिमाही चल रही है, आयोग ने मूल्यांकन किए गए अनुसंधान प्रस्तावों का अनुमोदन और निधियों की पहली किश्त का निर्मोचन करने के लिए अध्यक्ष को प्राधिकृत किया।

कार्यसूची मद सं. 16:

वित्तीय वर्ष 2018-19 के दौरान सेमिनार आयोजित करने के लिए मुद्दें/विषय/प्राथमिकता क्षेत्र

आयोग ने नोट कर लिया है और 2018-19 में वित्तीय वर्ष के दौरान सेमिनार करने के लिए भूतलक्षी प्रभाव से आयोग द्वारा अनुमोदन प्रदान किया गया। इसके अतिरिक्त, इस बात को ध्यान में रखते हुए कि चालू वित्तीय वर्ष की यह अंतिम तिमाही चल रही है, आयोग ने मूल्यांकन किए गए अनुसंधान प्रस्तावों का अनुमोदन और निधियों की पहली किश्त का निर्मोचन करने के लिए अध्यक्ष को प्राधिकृत किया। यह आयोग द्वारा भूतलक्षी प्रभाव से अनुमोदन के अध्यधीन होगा।

कार्यसूची मद सं. 17:

वित्तीय वर्ष 2018-19 के लिए सेमिनार और अनुसंधान अध्ययनों के लिए वित्तीय सहायता के अनुदान के लिए मार्गदर्शक सिद्धांत

आयोग ने नोट कर लिया है और वित्तीय वर्ष 2018-19 के लिए सेमिनार और अनुसंधान अध्ययनों के लिए वित्तीय सहायता के अनुदान के लिए मार्गदर्शक सिद्धांतों को सैद्धांतिक रूप से अनुमोदन, इस शर्त के साथ प्रदान किया है कि मार्गदर्शक सिद्धांतों के पैरा 4 को अस्पष्टता से बचने के लिए उपयुक्त रूप से इसका पुन: प्रारूपण किया जाए।

<u>वाल्यूम II</u>

कार्यसूची मद सं. 1:

फा.सं. 8/सी180013592/2018/एनसीडब्ल्यू/एसएस-एआर/जीके- सुश्री एक्स.वाई.जैड., उदयपुर की शिकायत की बाबत जांच दल की तथ्य पता लगाने वाली रिपोर्ट

आयोग ने सुश्री एक्स.वाई.जैड., उदयपुर की शिकायत की बाबत जांच दल की तथ्य पता लगाने वाली रिपोर्ट को नोट कर लिया है।

कार्यसूची मद सं. 2:
तारीख 10.1.2019 तक उपगत व्यय

आयोग ने तारीख 10.1.2019 तक उपगत व्यय को नोट कर लिया है।

अतिरिक्त कार्यसूची मद सं. 1:
पाचवीं वाईब्रेंट इंडिया में रा.म.आ. के भाग लेने के लिए भूतलक्षी प्रभाव से अनुमोदन प्रदान किया गया और तारीख 2 से 4 नवंबर 2018 तक दिल्ली हाट, पीतमपुरा, नई दिल्ली में आयोजित वाईब्रेंट इंडिया 2018 के लिए भाग लेने की फीस के लिए एनएनएस ईंवेट और एक्सबीशिन प्राइवेट लिमिटेड को कुल 4,67,280 रू में से दूसरी किश्त का पूरा और अंतिम भुगतान निर्मोचित करने के लिए अनुमोदन प्रदान किया गया।

आयोग ने वाईब्रेंट इंडिया 2018 में राष्ट्रीय महिला आयोग के भाग लेने के लिए भूतलक्षी प्रभाव से अनुमोदन प्रदान किया और 4,67,280 रू का पूरा और अंतिम भुगतान करने के लिए एनएनएस ईंवेट और एक्सबीशिन प्राइवेट लिमिटेड को दूसरी किश्त के रूप में 3,50,460 रू का निर्मोचन करने का अनुमोदन किया।

अतिरिक्त कार्यसूची मद सं. 2:
राष्ट्रीय महिला आयोग की बाबत 2019-20 के लिए वार्षिक कार्रवाई योजना

आयोग ने नोट कर लिया है और राष्ट्रीय महिला आयोग की बाबत 2019-20 के लिए वार्षिक कार्रवाई योजना के लिए आयोग ने अनुमोदन प्रदान किया।

अतिरिक्त कार्यसूची मद सं. 3:

जनवरी-मार्च, 2019 के लिए मीडिया योजना

आयोग ने नोट कर लिया है और मार्च, 2019 को समाप्त हो रही तिमाही के लिए आयोग के समक्ष प्रस्तुत किए गए मीडिया योजना के लिए आयोग ने अनुमोदन प्रदान किया। आयोग ने सदस्य, (सी.डी.) के इस सुझाव को नोट किया कि महिलाओं से संबंधित विधियों और उनके अधिकारों के बारे में जानकारी की बाबत जिला स्तर पर जागरूकता पैदा करने की संभावना का पता लगाया जाए।

पटल पर अतिरिक्त कार्यसूची:
संविदात्मक कर्मचारियों के पारिश्रमिक में वृद्धि

आयोग ने पारिश्रमिक में वृद्धि के प्रस्ताव पर विचार किया और उसका अनुमोदन किया।

(मीनाक्षी गुप्ता)
सदस्य सचिव

(रेखा शर्मा)
अध्यक्ष, रा.म.आ.